

these long-distance passengers. The Minister may also think of making arrangements for the entertainment of the passengers during the long journey by providing facilities for channel music etc.

While I thank the Railway Minister for all the facilities already extended to the people of Tamilnadu in this regard, I hope and request that the proposals made out by me may be considered and suitable action taken at the earliest convenience for the benefit of the travelling public of Tamilnadu.

(vi) ALLEGED REPRESSIVE MEASURES AGAINST AGRICULTURAL LABOURERS IN PATNA DISTRICT

श्री रामावतार शास्त्री : (पटना) : कथित नक्सलपंथी एवं उग्रवादी आन्दोलन को दबाने के नाम पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी० आर० पी० एफ०) और बिहार मिलिटरी पुलिस ने पटना जिले के नौबतपुर, बिक्रम, पालीगंज, पुनपुन, मसौढ़ी और धनरुआ प्रखण्डों में कई बार गोलियां चलायीं। पिछले दिनों उन की गोलियों से एक भजन से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और डेढ़ दो सौ व्यक्ति घायल हैं। सैकड़ों बेकसूर लोगों को जेलों में डाल दिया गया है।

खेतों में काम करने वाले मजदूर आज सर्वत्र आंदोलित हैं। उन की मांग है कि उन्हें निम्नतम मजदूरी कानून के अनुसार मजदूरी दी जाय, निम्नतम मजदूरी कानून में संशोधन किया जाय, भूमि हदबन्दी कानून को लागू कर भूमिपतियों से जमीन ले कर खेत मजदूरों और गरीब किसानों में बांटी जाय, कर्ज गुलामी को समाप्त किया जाय, बंधुआ मजदूरी प्रथा समाप्त की जाय, बासगोत जमीनों का पर्चा दिया जाय, उन के उत्थान के लिए विशेष

कार्यक्रम चालू किया जाय, उन पर होने वाले सामाजिक जुल्मों का अन्त किया जाय, उन की मांग-बहनों को मांग-बहन समझ कर उन की इज्जत-श्रावण की रक्षा की जाय और उन की घान की फसल की रक्षा की जाय।

परन्तु दुख है कि सरकार ऐसा नहीं कर दमन का सहारा लेकर उन के आंदोलनों को बराबर के लिए कुचल देना चाहती है। क्या दमन कभी भी सच्चे आन्दोलनों को दबाने में समर्थ हो सक्ता है? ऐसी स्थिति में नक्सलपंथी तत्व खेत मजदूरों एवं गरीब किसानों के असंतोष का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो प्राश्चर्य की कौन सी बात है?

अधिकारियों से मेरा अनुरोध होगा कि वे अपनी हठवादिता को छोड़ कर खेत मजदूरों और गरीब किसानों की उपर्युक्त मांगों को अविलम्ब स्वीकार कर उन्हें क्रियान्वित करें। ऐसा करके ही उन लोगों को नक्सलवादी तत्वों के चंगुल में जाने से बचाया जा सकता है। नक्सलवाद को दमन से नहीं धरनु राजनीतिक संघर्षों से पराजित किया जा सकता है। नक्सलवाद यानी माओवाद को भूमिपतियों की रक्षा करके नहीं अपितु मजदूर-किसानों की मांगों को स्वीकार करके हराया जा सकता है।

सरकार से मेरा यह भी अनुरोध है कि वह पुलिस की गोलियों से मृत लोगों के परिवार को मुआवजा देने और निरपराध गिरफ्तार व्यक्तियों को जेल से रिहा करने का आदेश दे।

(vii) IMMEDIATE CLEANING OF SUJAN-GANGA CANAL AROUND THE FORT OF BHARATPUR

SHRI RAJESH PILOT (Bharatpur) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, under rule 377, I bring the following

urgent matter to the notice of the House :—

The condition of the moat (Sujan Ganga Canal) around the famous fort, Loha Garh, of Bharatpur is deteriorating miserably though it is under the Central Archaeological Department.

Its bathing ghats and boundary wall are badly damaged. This has resulted in the inflow of dirty water of the city into the canal. Some shopkeepers have also deliberately arranged to expel the dirty water from their shops to flow into the canal. This is developing into a serious health hazard. The water hyacinth that was removed last year is growing up very fast again. The canal-cleaning operation initiated last year has also not been properly completed. This requires urgent attention and steps from the Archaeological Department.

(vii) NEED FOR EFFECTIVE STEPS TO PROVIDE IMPROVED FACILITIES FOR PRIMERY EDUCATION IN UTTAR PRADESH.

श्री बी० जी० सिंह (कूतपुर) :

उपरोक्त महोदय, नियम 377 के तहत मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ :

भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में वह उद्देश्य किशोरा गया है कि संविधान के लागू होने का तारीख से दस वर्षों की अवधि के अन्दर राज्य 14 वर्ष से कम उम्र बाने सभी बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने की कोशिश करेगा। तथापि, संविधान के लागू होने के लगभग 33 वर्षों के पश्चात् भी सरकार ने उन बच्चों के लिए भी शिक्षा की संतोषजनक व्यवस्था नहीं की है,

जो फीस दे कर पढ़ना चाहते हैं। देश के अनेक भागों में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था निन्दनीय है। उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश में 16,000 से अधिक ऐसे प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके भवन नहीं हैं। जहाँ कहीं स्कूलों के भवन हैं भी, तो वे जोर्ण-शोर्ण अवस्था में हैं। कहीं कहीं चार अथवा पांच कक्षाएँ एक ही कमरे में लगती हैं। विद्यालयों में फर्नीचर और अन्य शिक्षण उपकरणों की व्यवस्था भी अपर्याप्त है।

शिक्षा का विषय 1977 में संविधान को सप्तम अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल किया गया था और इसलिए राज्य नीति के निदेशक तत्वों सम्बन्धी अनुच्छेद 45 के अधीन बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है। अतः मैं अनुरोध करता हूँ कि केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए कारगर उपाय करने चाहिये। केन्द्रीय सरकार को इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता भी देनी चाहिए।

15.13 hrs.

BEEDI WORKERS WELFARE CESS (AMENDMENT) BILL—
(Contd.)

MR. DEPUTY-SPEAKER :
The House will take up further consideration of the following motion moved by Shri P. Venkata Reddy on the 25th November, 1981, namely :—

“That the Bill to amend the Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976, be taken into consideration.”

Mr. Venkata Reddy.